बीआईएस/वित्त/मुख्यालय/परिपत्र (09)/2020

भारतीय मानक ब्यूरो

(वित्त विभाग)

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर गणना

- यह हमारे परिपत्र संख्या बीआईएस/फिन/मुख्यालय/परिपत्र (08)/2020 दिनांक 08 जुलाई 2020 के संदर्भ में है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर गणना का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में कहा गया है ।
- इस संबंध मे आगे यह बताया जा रहा है कि आयकर (पुरानी व्यवस्था/नई व्यवस्था) की गणना करने के लिए आयकर विभाग ने अब आयकर कैलकुलेटर उपलब्ध कराया है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है:

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/Tax_Calculator/

3. भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारी/कर्मचारी/पेंशनभोगी इस लिंक के माध्यम से अपने वेतन/पेंशन आदि का विवरण अपनी बचत के साथ प्रविष्टि कर के यह ज्ञात कर सकते हैं कि प्रानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से कौन सी व्यवस्था उनके लिए लाभकारी होगी |

यह सक्षम अधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है |

हस्ता/-(गुरप्रीत सिंह) निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ : वित्त/2:24/2020

दिनांक : 04 अगस्त 2020

परिचालित सेवा में भा मा ब्यूरो इंटरनेट के माध्यम से :

- सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय प्रयोगशाला के प्रमुख
- मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुख
- भा मा ब्यूरो के सभी अधिकारी एंवम कर्मचारी
- भा मा ब्यूरो के सभी पेंशनभोगी

प्रतिलिपि - जानकारी के लिए :

- निजी सचिव (महानिदेशक) महानिदेशक की जानकारी के लिए
- अपर महानिदेशक / मुख्य सतर्कता अधिकारी / सभी उप महानिदेशक

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए

BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (09)/2020

BUREAU OF INDIAN STANDARDS (FINANCE DEPARTMENT)

Subject: Income Tax calculation for the financial year 2020--21

1. This is with reference to our circular No. BIS/FIN/HQ/Circular(04)/2020 dated 08 July 2020, through which it was requested to submit Saving Details for calculation of Income Tax

for the financial year 2020-21.

2. In this regard, it is further informed that Income Tax Department has now provided **INCOME TAX CALCULATOR** for the purpose of calculation of income tax (old regime/new regime). The link of the same is given below:

https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/Tax_Calculator/

3. Accordingly, all officials/pensioners of BIS may know which tax regime i.e. old or new is more beneficial to them, by entering the details of their salary/pension etc. along with details of savings in the link provided above.

This issues with the approval of Competent Authority.

Sd/-

(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Our Ref: FIN/2:37/Income Tax/2020-21

Date: 04 August 2020

Circulated through Intranet to:

- Heads of ROs/BOs/CL/NITS
- Heads of all Departments at HQ
- All Official of BIS
- All pensioners/family pensioners of BIS

Copy for Information:

• DG/ADG/CVO/ All DDGs

Copy to: ITSD for placing on BIS INTRANET.